FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0020 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/09/2023 16:27 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2023 **Time (समय):** 16:01 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/09/2023 16:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 10 Km **Beat No. (बीट सं.):**
(s)

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Narender

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 17/06/1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HNo 682/1, JP Colony, Hisa, LAKHAN MAJRA, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	HNo 682/1, JP Colony, Hisa, LAKHAN MAJRA, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9215089100

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	डाक्टर अनिता कादियान			1. उप निदेशक, FSL,Madhuban,KarnalKARNAL,HARYANA,INDIA
2	नीरज गौड			1. निदेशक मैसर्ज माईजिन लाईफ,सोलूशन कम्पनी न्यू दिल्ली,NEW DELHI,DELHI,INDIA
3	बृज सिंह			1. ओप्रेशन सैल्स मैनेजर,माईजिन कम्पनी न्यू दिल्लीNEW DELHI,DELHI,INDIA
4	चन्द्रभानू चौधरी			1. मैसर्ज थर्मोफिशर साईन्टिफिक,कम्पनी गुडगाँव GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल । श्रीमान जी,निवेदन यह है कि जाँच क्रमांक 04 दिनांक 06.04.2023 करनाल मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 71/35/2023-5चौ-I दिनांक 03.04.2023 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठाकन 5640/आई-5/भ्र.नि.ब्यु(ह0) दिनांक 07.04.2023 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, करनाल के डायरी क्रमांक 479 दिनांक 10.04.2023 अनुसार डाक्टर अनीता कादियान उप निदेशक, न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन करनाल द्वारा डी.एन.ए./पीसीआर किट खरिद करने मे Mygene Private Limited, नई दिल्ली के कर्मचारियो से रिश्वत की मांग करने बारे आरोपों की जाँच करने हेतू प्राप्त हुई । जाँच की अन्तिम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई जो मेरी जाँच से पाया गया है कि न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन मे डी.एन.ए./पीसीआर किट दर अनुबन्ध थर्मोफिशर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है जो अपने चैनल पार्टनर Mygene Private Limited नई दिल्ली के माध्यम से किट की आपूर्ति करनी पाई गई है ।

जाँच के दौरान डा0 राजीव क्वात्रा द्वारा थर्मोफिशर कम्पनी कर्मचारी चन्द्रभानू चौधरी व माईजीन कम्पनी के निदेशक नीरज गौड व बृज सिंह के साथ हुई बातचीत की विडियो रिकाडिंग को गहनता से सुनने पर पाया गया है, कि विडियो मे माईजिन कम्पनी के निदेशक, नीरज गौड डा0 राजीव क्वात्रा के साथ व्टसअप कॉल पर आपस में बातचीत कर रहे है। इस बातचीत में डा0 राजीव क्वात्रा कहता है- 20 प्रतिशत, तो नीरज गौड कहता है कि नही नही 20 लाख, तो शिकायतकर्ता कहता है-20 लाख चाह रही है वो रेट कोन्ट्रेक्ट के बदले मे, तो नीरज गौड कहता है-जी, डा0 राजीव क्वात्रा कहता है-पी.सी.आर. किट की अगर वो नही दे रहे तो क्या कर रहे है, नीरज गौड कहता है-तो हमने मना कर दिया, हम इससे ज्यादा नही दे पायेंगे, डा0 राजीव क्वात्रा कहता है- तो 11 लाख दे दिये। नीरज गौड कहता है-हाँ जी, डा0 राजीव क्वात्रा कहता है-तो ये किसने मैडम को दिये या मैडम के किसी आदमी को, अनिता कादियान मैडम को। नीरज गौड कहता है-हाँ। डा0 राजीव क्वात्रा कहता है-डारेक्ट मैडम को दिये है, नीरज- हाँ डारेक्ट मैडम ने लिये है। डा0 राजीव क्वात्रा कहता है-तो उसके घर जाकर दिये होंगे., नीरज गौड कहता है-ना ये गया है हमारा बृज।

इसके अतिरिक्त थर्मोफीशर कम्पनी के कर्मचारी चन्द्रभानू चौधरी व डा0 राजीव क्वात्रा के बीच व्टसअप कॉल के माध्यम से हुई बातचीत को सुना गया, बातचीत में राजीव कवात्रा ने कहा कि अब तक कितना दे चुके। जिस पर चन्द्रभानु चौधरी कहता है कि 11 लाख, डा0 राजीव क्वात्रा कहता है कि 11 लाख लिया, आपने मुझे बताया ही नहीं ये सब चल रहा है, यहा ।

जिसके बाद बृज सिंहँ व डा0 राजीव क्वात्रा के मध्य हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को सुनने पर पाया गया। जिसमें डा0 राजीव कवात्रा, माईजिन कम्पनी लि0 के कर्मचारी बृज को कहता है-कितने ..कितने मांगे, तो ब्रीज सिहँ कहता है-अरे बहुत हैं, राजीव कवात्रा कहता है-बहुत क्या ?, बृज सिहँ कहता है-बहुत, राजीव कवात्रा कहता है-20, तो बृज सिहँ कहता है- हां लगभग उतना ही, राजीव कवात्रा कहता है-फिर आपने एक लाख दिये जिस पर बृज सिहँ कहता है-नहीं भानु ने बताया था जितना बताया उतना ही।

जांच के दौरान उपरोक्त विषय पर पूर्व में श्रीमति ममता सिहँ भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, करनाल मण्डल, करनाल की अध्यक्षता मे गठित कमेटी व इसी प्रकार श्री अर्शिन्द्र सिंह चावला, भा0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ प्रशासनिक हरियाणा पंचकुला की अध्यक्षता में गठित एस0आई0टी0 द्वारा मामले में कम्पनी के अधिकारी/ कर्मचारियों तथा शिकायतकर्ता डा0 राजीव क्वात्रा के कथन व उनके द्वारा की गई रिकाडिंग अनुसार जांच अधिकारी द्वारा जांच के सम्बन्ध में कथन अंकित किये गये जो कथनो में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा डा0 अनीता कादियान को रिश्वत के रूप में किसी प्रकार की राशि देना नही माना है जबकि किसी भी कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा रिकार्डिग में हुई बातचीत की सत्यता का खडंन न करके बातचीत होनी मानी है। इसके अतिरिक्त डा0 अनिता कादियान द्वारा राजीव क्वात्रा पर कम्पनी के लोगों से फोन करने के लिए कहने का दबाव बनाना, जिला पंचकुला में टेंडर प्रक्रिया के दौरान माइजिन कम्पनी के कर्मचारियो को कॉफी शॉप पर व अपने आवास

पर मिलना मामले को गम्बीर एवं संदेहजनक बनाता है।

प्राप्त ओडियो/विडियो रिकार्डिंग व पुर्व गठित जाँच कमेटियो द्वारा मामले में दी गई रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि डा0 राजीव कवात्रा द्वारा कम्पनी के कर्मचारियो/अधिकारियो के मध्य रिकार्ड हुई बातचीत प्रथम दृष्टि से सामान्य तौर पर की जानी प्रतीत होती है तथा किसी प्रकार से सिखा पढा कर रिकोर्ड होना नही लगता है। इस रिकार्डिंग के आधार पर यह भी प्रतीत होता है, कि डा0 अनीता कादियान द्वारा 20 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की गई तथा उसमें से 11 लाख रूपये बृज सिंहँ कम्पनी कर्मचारी द्वारा डॉ. अनीता कादियान को दिये गये। इस सारे प्रकरण के बारे में माईजिन के निदेशक, श्री नीरज गौड व थमोफिशर कम्पनी के कर्मचारी चन्द्रभानू को भी जानकारी होनी सामने आई है। बातचीत से यह भी तथ्य सामने आये है, कि डा0 अनीता कादियान द्वारा माईजिन व थमोफिशर के अधिकारी/कर्मचारियों को धमकाकर व दबाब बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त किया है। डा0 अनीता कादियान द्वारा उपरोक्त कम्पनी के अधिकारी/कर्मचारियों को अपने घर पर बुलाना, सैक्टर-8, पचंकूला में कॉफीशोप पर मिलना, इन आरोपो को मजबूती प्रदान करता है, किन्तू उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी श्री नीरज गोड, बृज सिहँ व चन्द्रभानू ने अपने कथनो में किसी प्रकार की रिश्वत डा0 अनिता कादियान को देने से इंकार किया है। वही दूसरी ओर अपनी रिकार्डिंग वार्तालाप में सच्चाई न होने का खंडन भी नहीं किया है। गहन अनुसंधान, वैज्ञानिक, तकनिकी दास्तेवज साक्ष्य एकत्रित करके, इन गम्भीर व संदेहजनक आरोपो को साबित करने के लिये डाक्टर अनिता कादियान, उप निदेशक, न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन करनाल, श्री नीरज गौड, निदेशक मैसर्ज माईजिन लाईफ सोलूशन कम्पनी न्यू दिल्ली, बृज सिंह ओप्रेशन सैल्स मैनेजर, माईजिन कम्पनी न्यू दिल्ली व चन्द्रभानू चौधरी मैसर्ज थर्मोफिशर साईन्टिफिक कम्पनी गुडगाँव के खिलाफ धारा 7,8,13 Corruption Act 1988 व 120-B IPC के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया ।

जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार(Home Department) के यादि पृष्ठाकन क्रमांक 12/38/2022-1HG-II दिनांक 29.08.2023 की अनुपालना मे व महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक, पंचकुला हरियाणा कार्यालय के पृष्ठाकन क्रमांक 14838/1-5/ACB(H) दिनांक 04.09.2023 अनुसार जाँच की अन्तिम रिपोर्ट मे दिये गये सुझाव से सहमत होते हुये डाक्टर अनिता कादियान, उप निदेशक, न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन करनाल, श्री नीरज गौड, निदेशक मैसर्ज माईजिन लाईफ सोलूशन कम्पनी न्यू दिल्ली, बृज सिंह ओप्रेशन सैल्स मैनेजर, माईजिन कम्पनी न्यू दिल्ली व चन्द्रभानू चौधरी मैसर्ज थर्मोफिशर साईन्टिफिक कम्पनी गुडगाँव के विरूद्व धारा 7,8,13 Corruption Act 1988 व 120B IPC के तहत अभियोग दर्ज करने बारे व हरियाणा सरकार द्वारा अपने आदेशो मे डा0 अनिता कादियान, उप निदेशक, न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन करनाल के खिलाफ अनुसन्धान करने की अग्रिम अनुमति धारा 17-A Corruption Act 1988 प्रदान की है जो आरोपियान डाक्टर अनिता कादियान, उप निदेशक, न्यायवैधिक प्रयोगशाला मधुबन करनाल, श्री नीरज गौड, निदेशक मैसर्ज माईजिन लाईफ सोलूशन कम्पनी न्यू दिल्ली, बृज सिंह ओप्रेशन सैल्स मैनेजर, माईजिन कम्पनी न्यू दिल्ली व चन्द्रभानू चौधरी मैसर्ज थर्मोफिशर साईन्टिफिक कम्पनी गुडगाँव के खिलाफ धारा 7,8,13 Corruption Act 1988 व 120-B IPC का अपराध घटित होना पाया जाने पर तहरिर अंकित की जाकर अभियोग दर्ज किया जा रहा है । Sd/- Narender Kumar (नरेन्द्र कुमार) ह.पु.से उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल । दिनांक 06.09.2023

अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 20 दिनांक 06-9-2023 धारा 7,8,13 Corruption Act 1988 व 120-B IPC थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निरीक्षक सीमा, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के हवाले की जायेगी। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से श्री नरेन्द्र कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): seema Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): insp to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): NARENDER KUMAR

Rank (पद): DSP

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1973				Is pox pitted: Yes

2	Male	1978				Is pox pitted: Yes
3	Male	1981				Is pox pitted: Yes
4	Male	1982				Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)